भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.# 2701

उत्तर देने की तारीख 18.03.2021

राजस्थान में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

2701# श्री नीरज डांगी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राजस्थान में विगत पांच वर्षों के दौरान जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार जनजातीय समुदाय के लिए विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार की जनजातीय समुदाय के लिए रोजगार सृजन करने की क्या योजना है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) : राजस्थान में जनजातीय कल्याण पर पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि का वर्षवार विवरण **अनुलग्नक- I** में संलग्न है।

(ख) एवं (ग) : राजस्थान सरकार सहित राज्य सरकार को टीएसएस को एससीए के माध्यम से, उनसे मांग के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ आजीविका, कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए और पशुपालन आदि जैसी अन्य आय सृजन गतिविधियों के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाता है। पिछले 4 वर्षों के दौरान इन रोजगार सृजन गतिविधियों के लिए राजस्थान सरकार को जारी की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1.	कौशल विकास	0	0	504	800	1304
2.	आजीविका	2016	2024.58	1305	2650	7995.58
3.	पशुपालन	708.13	915.21	550	1500	3673.34
कुल		**2724.13**	**2939.79**	**2359**	**4950**	**12972.92**

इसके अतिरिक्त 'जनजातीय उत्पाद / उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता' योजना के तहत राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) को सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन

और विकास में सहायता करने के लिए समर्थ संस्थानों का निर्माण करना है, जिसमें जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, एमएफपी इकट्ठा करने वालों का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना आदि का सृजन शामिल है। ट्राइफेड जनजातीय आबादी की पारंपरिक कला और संस्कृति के विकास के लिए राष्ट्रीय जनजातीय त्योहार "आदि महोत्सव" का भी आयोजन करता है, जिसमें खाद्य और हस्तशिल्प की वस्तुएं शामिल हैं। **इस योजना के तहत 2019-20 के दौरान राजस्थान को 5.63 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।**

लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी) की स्कीम के माध्यम से ट्राइफेड, 2018-19 में आरम्भ किए गए वन धन विकास केंद्रों (वीडीकेके) की पहल को लागू करता है, जिसमें मुख्य रूप से जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाले लघु वन उत्पादन केंद्रित बहु-प्रयोजन केंद्रों की स्थापना की जाती है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध एमएफपी के लिए खरीद सह मूल्य संवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। राजस्थान के लिए कुल 27 वन धन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और राज्य में कुल 8190 लाभार्थियों की गणना की गई है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अजजा वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अपनी स्कीमों नामत: मियादी ऋण, आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण (माइक्रो क्रेडिट) योजना, के तहत अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किसी भी आय सृजन गतिविधियां / स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है| राजस्थान को एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत जारी की गई निधियाँ **अनुलग्नक** - II में संलग्न है।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

अनुलग्नक- I

श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 18.03.2021 को 'राजस्थान में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' के संबंध में पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2701 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	101.90	110.73	100.52	103.28	114.61
2.	अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	108.90	98.00	199.12	135.99	259.51
3.	अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	-	-	32.85	17.16	53.47
4.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान (ईएमआरएस सहित)	110.00	103.41	102.41	137.69	155.86
5.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए विकास योजना	-	13.31	10.38	10.08	9.68
6.	जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन	-	0.43	-	-	5.63
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए प्रणाली और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	-	-	6.57	-	-

केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा **पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान** एसटीसी के तहत राजस्थान को जारी की गई निधियाँ:

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	राज्य सरकार	अन्य एजेंसियां	कुल
2017-18	2343.31	47.86	2391.17
2018-19	2091.07	50.11	2141.18
2019-20	2219.44	515.35	2734.79
2020-21 (9 मार्च 2021 तक)	1576.75	599.21	2175.96

नोट: एसटीसी एमआईएस पोर्टल के अनुसार डेटा।

* जनवरी, 2017 में कार्य नियतन नियमावली (एबीआर) में संशोधन के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को नीति आयोग द्वारा डिज़ाइन किए गए ढांचे और तंत्र के आधार पर टीएसपी की निगरानी के लिए आदेश दिया गया है।

अनुलग्नक- II

श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 18.03.2021 को 'राजस्थान में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' के संबंध में पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2701 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में विवरण

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	2017-18	2018-19	2019-20
1.	सावधि ऋण	292.28	359.66	347.14
2.	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई)	4.53	5.55	15.53
3.	लघु ऋण (माइक्रो क्रेडिट) योजना (एमसीएफ)	17.70	112.74	94.60
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (शिक्षा ऋण)	3.51	3.11	0.90
5.	कार्यशील पूंजी सहायता	-	-	1.34

*****